

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक-एफ 28()परावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2018/ 3030 जयपुर दिनांक 06.07.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- बाडमेर ।

विषय:- ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.स.	सर्व श्री/श्रीमति /सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./प0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./प0 रा0)
1	श्याम खारवाल	प0स0 कल्याणपुरा (बाडमेर)	प0स0 बालोतरा (बाडमेर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:-

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे ।

(राजेन्द्र शंखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि-ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव